न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 37 / 14 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. अर्जुन पुत्र चन्दरो पुत्री राधाकिशन जाति अहीर निवासी ग्राम मौहल्ला तिहागिया वार्ड नं0 5, भाडावास तहसील एवं जिला रेवाडी (हरियाणा)

:–––– अपीलांट

बनाम

1. जयदयाल पुत्र राधाकिशन जाति अहीर निवासी ग्राम उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान (फौत)
2. प्रहलाद पुत्र चन्द्रो पुत्री राधाकिशन जाति अहीर निवासी ग्राम मौहल्ला तिहागिया वार्ड नं0 5, भाडावास तहसील एवं जिला रेवाडी हरियाणा
3. लक्ष्मीदेवी पुत्री चन्द्रो पुत्री राधाकिशन पत्नि विनोद जाति अहीर हाल आबाद गांव पहाडी की ढाणी तहसील पटौदा जिला गुडगांवा हरियाणा
4. ओमप्रकाश पुत्र चमेली पुत्री राधाकिशन जाति अहीर निवासी ग्राम मांजरीकला तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान
5. लाली उर्फ रामगिरी माता चमेली पुत्री राधाकिशन पत्नि लालाराम जाति अहीर निवासी ग्राम सांतो तहसील बहरोड जिला अलवर
6. सोमोती पत्नि प्रहलाद जाति अहीर निवासी ग्राम मौहल्ला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

तिहागिया वार्ड नम्बर 5, भाडावास तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा ।

7. राकेश देवी पत्नि सतपाल जाति अहीर निवासी ग्राम मौहल्ला तिहागिया वार्ड नम्बर 5, भाडावास तहसील व जिला रेवाडी

8. मनोजदेवी पत्नि देवेन्द्र कुमार जाति अहीर साकिन ग्राम मौहल्ला तिहागिया वार्ड नम्बर 5, भाडावास तहसील व जिला रेवाडी एवं ग्राम उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

9. दिव्या देवी उर्फ धौली पत्नि जीतेन्द्र कुमार जाति अहीर वासी ग्राम मौहल्ला तिहागिया वार्ड नम्बर 5, भाडावास तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा एवं ग्राम उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

10. बदलू उर्फ सुल्तान पुत्र चन्दर जाति अहीर निवासी ग्राम उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

11. शिवचन्द पुत्र बूधर जाति अहीर निवासी ग्राम उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

12. भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटकासिम जरिये शाखा प्रबन्धक, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर

13. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी, तहसीलदार,कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:------ रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक 22.8.2014

Scanned by CamScanner

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री संजीव जैन

2. वकील रेस्पो0 :— श्री अमरसिंह यादव

निर्णय दिनांक 16.2.2017

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व वाद संख्या 169/2011 उनवान अर्जुन बनाम जयदयाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 22.8.2014 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत इश्तकरारहक इन्द्राज दुरुस्ती मय हुकम इम्तनाई दवामी खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलांट अर्जुन ने तहत न्यायालय में एक वाद पेश किया था । दौराने विचारण वाद प्रार्थीनी लक्ष्मीदेवी ने एक प्रार्थना पत्र आशय का पेश किया कि न्यायालय श्रीमान सिविल जज वरिष्ठ खंड रेवाडी में बउनवान वाद अर्जुन बनाम प्रहलादसिंह मुकदमा नम्बर 1071/21.8.2008 में राजीनामा पेश किया, जिसे उक्त न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है । उक्त राजीनामा से वादी अर्जुन सिंह पाबन्द है । मौजूदा यह वाद स्वतः ही खारिज किये जाने योग्य है । मुख्य विवाद ग्राम भाडावास की चल व अचल जायदाद सम्बन्धी था । वादी ने मौजूदा वाद गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया है कि वादी/प्रार्थी की राधाकिशन पुत्र धन्ना निवासी ग्राम उजौली तहसील कोटकासिम की पैत्रिक दादालाई हाल आराजी खसरा नम्बर 311, 731, 961, 995, 996, 997, 1486, 1495, 1578 कुल किता 9 कुल रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर की बाबत वादी अपीलांट ने तहत न्यायालय में वाद पेश किया था । यह आराजी वादी/अपीलांट की दादालाई पुश्तैनी आराजी रही है, जिसमें वादी अपीलांट का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही 1/9 भाग है, किन्तु प्रतिवादीगण रेस्पो0 द्वारा सालिम आराजी को गलत तौर पर अपने नाम करवा लिया । इसलिये मैंने तहत न्यायालय में वाद पेश किया, जिसे तहत न्यायालय ने राजीनामा का हवाला देकर गलत तौर पर खारिज कर दिया । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित आराजी के अलावा उभयपक्षकारान की काफी पुश्तैनी आराजी वाके ग्राम सिवाना मौजा भाडावास तहसील रेवाडी जिला रेवाडी हरियाणा में स्थित है, जिसके सम्बन्ध में उभयपक्षकारान के मध्य वाद संख्या 1071/21/2008 उनवान अर्जुन बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

प्रहलाद अदालत सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रेवाडी हरियाणा में विचाराधीन चला आ रहा था, जिस दीवान वाद में उभयपक्षकारान द्वारा उक्त वाद में वर्णित आराजीयात बाबत आपस में सहमति कर आराजी मुतनाजा बांट कर राजीनामा कर लिया गया था और राजीनामा के आधार पर उक्त सिविल न्यायालय रेवाडी द्वारा पक्षकारान की आराजी तकसीम कर दी गई थी । इस राजीनामा का मौजूदा प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 03 लक्ष्मीदेवी ने तहत न्यायालय में गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर दिया, जिसे विद्वान तहत न्यायालय ने गलत तौर पर स्वीकार कर मेरा दावा खारिज कर दिया । उक्त राजीनामा रेवाडी में भाडावास की भूमि के सम्बन्ध में हुआ था । तहत न्यायालय में मैंने कोई राजीनामा राजस्थान की भूमि के सम्बन्ध में नहीं किया था । इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व आदेश 23 नियम 3 दीवानी प्रकिया संहिता की परिधी में नहीं आता है । रेवाडी के राजीनामा को आधार मानकर मेरा दावा विधि विरूद्ध खारिज किया गया है । तहत न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 03 लक्ष्मीदेवी द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिनांक 28.3.2013 को पेश किया गया था, उसमें किसी धारा / आदेश /नियम / उप नियम / अधिनियम का उल्लेख नहीं है । अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्षकारान द्वारा आदेश 23 सी0 पी0 सी0 के तहत वाद के सम्बन्ध में राजीनामा हेतु किसी प्रकार कोसई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया था । विद्वान तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में आर0 आर0 डी0 (हाईकोर्ट–119) 2012 पेज 517 का हवाला दिया है । जिस नजीर में इन्तकाल की कार्यवाही में राजीनामा हुआ था, जिसे न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती । उक्त नजीर प्रस्तुत अपील में चस्पा नहीं होती है । मौजूदा प्रकरण में तो राजीनामा पेश ही नहीं हुआ था । ऐसे में उक्त नजीर मौजूदा प्रकरण पर लागू नहीं होती है, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । प्रकरण में जवाब दावा पेश हो चुका था । ऐसे में तनकियात कायम वाद का निर्णय मेरिटस पर करना चाहिये था । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0 बी0 जे0 2006 एच0 सी0 पेज 513, आर0 बी0 जे0 (23) 2016 पेज 186 का हवाला दिया ।

4. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि वादी अपीलांट अर्जुन ने पक्षकारान जयदयाल वगैरा के खिकालाफ हरियाणा एवं राजस्थान में विभिन्न अधिनियमों के तहत दावे पेश किये थे । इसके पश्चात सिविल न्यायालय, रेवाडी में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हुआ था और वह राजीनामा उक्त सिविल न्यायालय द्वारा तस्दीक भी हो चुका था । उक्त राजीनामा के अनुसार वादी अपीलांट का ग्राम भाडावास की जिन आराजीयात को लेकर विवाद था, उस पर दिनांक 10.5.14 को कब्जा दखलनामा इत्यादि हो चुका है । राजीनामा के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल हो चुका है । राजीनामा से वादी अपीलांट पाबन्द है । उक्त राजीनामा के आधार पर मौजूदा प्रकरण के अलावा सभी मुकदमे समाप्त हो चुके हैं । इनका यह कहना गलत है कि मौजूदा प्रकरण के सम्बन्ध में कोई राजीनामा नहीं हुआ है। जबकि

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

राजीनामा में स्वयं अपीलांट वादी ने स्वीकार किया है कि राजीनामा के अनुसार आराजीयात का तकसीम होने पर मैं तमाम मुकदमे जो हरियाणा व राजस्थान में पेश कर रखे हैं, वापिस ले लूंगा । राजीनामा के पेज 8 पर वादी अपीलांट अर्जुन ने स्वीकार किया गया है कि श्रीमान उपखंड अधिकारी, कोटकासिम अलवर की अदालत में दायर वाद नम्बर 168/169 दिनांकित 1.9.2011 व अपील नम्बर 2/24/2011 उनवान अर्जुन बनाम जयदयाल वगैरा को भी मैं अर्जुन वादी/अपीलांट वसीरका वापसी दाखिल दफतर करा दूंगा । और मुकदमा नम्बर 51/2004 जो कि दिनांक 2.1.2009 को अदम पैरवी व अदम सबूत दाखिल दफतर कर दिया था, के सन्दर्भ में भविष्य में कोई कार्यवाही नहीं करूंगा । मुकदमा नम्बर 102/2004 जो कि मुताबिक एफ0 आई0 आर0 नम्बर 91/2004 जेरे दफा 420 आई0 पी0 सी0 अदालत श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेंट किशनगढबास, अलवर में जेरे तजवीज है, जिसमें पुलिस द्वारा एफ0 आर0 भेजी जा चुकी है, एफ0 आर0 के सन्दर्भ में भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है और इसमें दायर अपने ऐतराजातों को मैं अर्जुन शिकायतकर्ता वापिस ले लूंगा । इस प्रकार मुताबिक उपरोक्त राजीनापमा दोनों पक्षों ने बाहमी तौर पर राजीनामा कर फैसला कर लिया है और मुताबिक राजीनामा विभिन्न अदालतों में चल रहे सभी केसों का फैसल करवा देंगे । वादी अपीलांट ने मौजूदा प्रकरण में तहत न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.5.2013 को उपस्थित होकर स्वीकार किया था कि हमारा राजीनामा हो चुका है । बंटवारा की पत्रावली तहसीलदार, रेवाडी के पास है । बंटवारा तस्दीक होने पर मैं इस वाद को खारिज करा लूंगा । वादी अपीलांट अपने इस राजीनामा से पूर्णतया पाबन्द है । अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसार विबन्ध हो चुका है । वादी अपीलांट राजीनामा को डिनाई नहीं कर सकते । मुताबिक राजीनामा वादी अपीलांट ने मौजूदा प्रकरण को वापिस नहीं लिया । इसलिये प्रार्थीनी लक्ष्मीदेवी को उक्त राजीनामा की पालना कराने हेतु तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना पडा, जो सही तौर पर स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन में 2013 आर0 एल0 डब्ल्यू0 पार्ट–I रेवेण्यू जजमैंट पेज 81 (डी0बी0) का हवाला दिया ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । वादी अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में मुख्य आपत्ति यह उठाई है कि उसने जो राजीनामा सि[illegible] न्यायालय रेवाडी में पेश किया था, वह भाडावास (रेवाडी) की चल व अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में पेश किया था, मौजूदा प्रकरण के सम्बन्ध में कोई राजीनामा पेश नहीं किया । जबकि इसके विपरीत रेस्पो0 का कथन है कि उक्त राजीनामा विभिन्न राज्यों में दायर हुये मुकदमो के सम्बन्ध में पेश किया गया था अर्थात उक्त राजीनामा में स्वयं वादी अपीलांट ने यह स्वीकार किया था कि वो ग्राम भाडावास की भूमि की तकसीम कराकर सभी मुकदमे वापिस ले लेगा, परन्तु उसने मौजूदा प्रकरण को वापिस नहीं लिया । पक्षकारान द्वारा दिये

भू-प्रबन्ध अधि[illegible]
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

गये तर्कों के सम्बन्ध में हमने पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजों एवं राजीनामा का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजीनामा, जो कि न्यायालय सिविल जज वरिष्ठ खंड, रेवाडी में पेश किया गया था, के पेज नम्बर 02 में अंकित किया गया है कि दानों पक्षों के बीच मुख्तरका कृषि एवं गैर कृषि भूमि गांव भाडावास को लेकर झगडे फसाद चले आ रहे है, जिसकी वजह सेस रेवाडी (हरियाणा), कोटकासिम (अलवर) व किशनगढबास (अलवर) की अदालतों में विभिन्न मुकदमे चले रहे हैं । पेज नम्बर 4 में अंकित किया गया है कि दोनों पक्ष आपस में सगे भाई व नजदीकी रिश्तेदार हैं । दोनों पक्षों ने अपने रिश्तेदारान व गांव के मोजीजान के माध्यम से आपस में बाहमी तौर पर राजीनामा कर लिया है और बाहमी तौर पर अपनी समस्त कृषि भूमि व गैर कृषि भूमि का बंटवारा भी कर लिया है । दोनों पक्षों में आपसी सहमति से अपनी कृषि भूमि का नक्शा गिरदावर हल्का से तैयार करवा लिया है,जिसे मंजूर कराकर तकसीम की बकाया कार्यवाही पूरी कर लेंगे । दोनों ही पक्षों ने नक्शें के मुताबिक अपने अपने कब्जे भी तब्दील कर लिये हैं । इस राजीनामा में वादी अपीलांट अर्जुन सिंह स्वीकार किया है कि वो सभी मुकदमे वापिस ले लेगा । इतना ही राजीनामा के पेज नम्बर 08 में उसने यह स्वीकार किया है कि श्रीमान उपखंड अधिकारी, कोटकासिम अलवर की अदालत में दायरा दावा नम्बर 168/169 दिनांकित 1.9.2011 व अपील नम्बर 2/24/2011 बअनुवानी अर्जुन बनाम जयदयाल वगैरा को भी मैं अर्जुन वादी/अपीलांट वसीका वापसी दाखिल दफतर करा दूंगा और मुकदमा नम्बर 51/2004 जो कि दिनांक 2.1.2009 को अदम पैरवी व अदम सबूत में दाखिल दफतर कर दिया था, के सन्दर्भ में भविष्य में कोई कार्यवाही नहीं करूंगा । मुकदमा नम्बर 102/2004, जो कि मुताबिक एफ0आई0आर0 91/2004 जेर दफा 420 आई0पी0सी0 अदालत श्रीमान अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढबास अलवर में जेरे तजवीज है, जिसमें पुलिस द्वारा एफ0आर0 भेजी जा चुकी है, एफ0आर0 के सन्दर्भ में भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है और इसमें दायर अपने ऐतराजातों को मैं अर्जुन शिकायतकर्ता वापिस ले लूंगा । इस प्रकार मुताबिक उपरोक्त राजीनामा दोनों पक्षों ने बाहमी तौर पर राजीनामा कर फैसला कर लिया है और मुताबिक राजीनामा विभिन्न अदालतों में चल रहे सभी केसों का फैसला करवा देंगे । यह राजीनामा सिविल न्यायालय, रेवाडी (हरियाणा) द्वारा तस्दीक किया हुआ है तथा राजीनामा के आधार पर सिविल न्यायालय रेवाडी ने लोक अदालत में दिनांक 6.3.2013 को अर्जुन का वाद पत्र खारिज किया है । नकल रपट रोजनामचा वाक्याती हल्का भाडावास तहसील व जिला रेवाडी दिनांक 10.5.2014 में अंकित किया गया है कि दोनों पक्षों में सिविल न्यायालय रेवाडी में राजीनामा हो गया था, मुताबिक डिक्री डिक्रीदार अर्जुन को दखल दिलाया गया । इस दखलनामा का इन्तकाल नम्बर 432 स्वीकार हुआ है । तहत न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.5.2013 के अनुसार वादी अपीलांट ने तहत न्यायालय में उपस्थित होकर स्वीकार किया है कि हमारा राजीनामा हो चुका है, बंटवारे की पत्रावली

उप-खण्ड अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

तस्दीक हेतु तहसीलदार, रेवाडी के पास हैं, बंटवारा तस्दीक होने पर मैं इस वाद को खारिज करा लूंगा ।

6. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में स्पष्ट होता है कि वादी अपीलांट अर्जुन ने सिविल न्यायालय, रेवाडी में राजीनामा पेश किया था कि हम पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो गया है और बाहमी तौर पर समस्त चल व अचल सम्पत्ति का बंटवारा कर लिया है । तकसीम की कार्यवाही होने पर मैं समस्त मुकदमे, जो राजस्थान व हरियाणा की विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, वापिस ले लूंगा । इतना ही उसने विद्वान तहत न्यायालय में दिनांक 16.5.2013 को उपस्थित होकर स्वीकार किया था कि हमारा राजीनामा हो गया है, बंटवारे की पत्रावली तहसीलदार, रेवाडी के पास है, बंटवारा तस्दीक होने पर मैं इस वाद को खारिज करा लूंगा । मुताबिक राजीनामा बंटवारा की कार्यवाही हो चुकी थी और वादी अपीलांट के पक्ष में मुताबिक राजीनामा ग्राम भाडावास तहसील रेवाडी जिला रेवाडी की सम्पत्ति पर डिक्री पारित की जा चुकी थी और डिकीदार अर्जुन को दखल भी दिलाया जा चुका था । उक्त दखल का इन्तकाल नम्बर 3507 तस्दीक भी हो चुका था, परन्तु उसने मौजूदा प्रकरण को वापिस नहीं लिया । जबकि उसने स्वयं ने दिनांक 16.5.2013 को तहत न्यायालय में स्वीकार किया था कि हमारा राजीनामा हो चुका है, बंटवारे की पत्रावली तहसीलदार, रेवाडी के पास है, बंटवारा तस्दीक होने पर मैं इस वाद को खारिज करा लूंगा । उसने राजीनामा में भी यह स्वीकार किया था कि वो तकसीम की कार्यवाही होने पर समस्त मुकदमे, जो हरियाणा व राजस्थान में चल रहे हैं, वापिस लू लूंगा । परन्तु उसने मौजूदा प्रकरण को वापिस नहीं लिया । जबकि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसार विबन्ध है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री दिनांक 22.8.2014 यथावत रखे जाते है ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । तहत पत्रावली लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 37 / 14 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. अर्जुन पुत्र चन्दरो पुत्री राधाकिशन जाति अहीर निवासी ग्राम मौहल्ला तिहागिया वार्ड नं0 5, भाडावास तहसील एवं जिला रेवाडी (हरियाणा)

:––––– अपीलांट

बनाम

1. जयदयाल पुत्र राधाकिशन जाति अहीर निवासी ग्राम उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान (फौत)
2. प्रहलाद पुत्र चन्द्रो पुत्री राधाकिशन जाति अहीर निवासी ग्राम मौहल्ला तिहागिया वार्ड नं0 5, भाडावास तहसील एवं जिला रेवाडी हरियाणा
3. लक्ष्मीदेवी पुत्री चन्द्रो पुत्री राधाकिशन पत्नि विनोद जाति अहीर हाल आबाद गांव पहाडी की ढाणी तहसील पटौदा जिला गुडगांवा हरियाणा
4. ओमप्रकाश पुत्र चमेली पुत्री राधाकिशन जाति अहीर निवासी ग्राम मांजरीकला तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

5. लाली उर्फ रामगिरी माता चमेली पुत्री राधाकिशन पत्नि लालाराम जाति अहीर निवासी ग्राम सांतो तहसील बहरोड जिला अलवर

6. सोमोती पत्नि प्रहलाद जाति अहीर निवासी ग्राम मौहल्ला तिहागिया वार्ड नम्बर 5, भाडावास तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा ।

7. राकेश देवी पत्नि सतपाल जाति अहीर निवासी ग्राम मौहल्ला तिहागिया वार्ड नम्बर 5, भाडावास तहसील व जिला रेवाडी

8. मनोजदेवी पत्नि देवेन्द्र कुमार जाति अहीर साकिन ग्राम मौहल्ला तिहागिया वार्ड नम्बर 5, भाडावास तहसील व जिला रेवाडी एवं ग्राम उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

9. दिव्या देवी उर्फ धौली पत्नि जीतेन्द्र कुमार जाति अहीर वासी ग्राम मौहल्ला तिहागिया वार्ड नम्बर 5, भाडावास तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा एवं ग्राम उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

10. बदलू उर्फ सुल्तान पुत्र चन्दर जाति अहीर निवासी ग्राम उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

11. शिवचन्द पुत्र बूधर जाति अहीर निवासी ग्राम उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

12. भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटकासिम जरिये शाखा प्रबन्धक, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर

13. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी, तहसीलदार,कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

[illegible]

अपील विरुद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, [illegible]

दिनांक 22.8.2014

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री संजीव जैन

2. वकील रेस्पो0 :– सर्व श्री दुलीचन्द यादव, महेन्द्रसिंह यादव, अमरसिंह यादव

पर्चा डिकी दिनांक [illegible]

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री दिनांक 22.8.2014 यथावत रखे जाते हैं ।

([illegible] शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner